एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 03 /2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ
दिनांकः जनवरी।8 ,2021

विषयः- मा0 विचारण न्यायालय के समक्ष नियत वादों में प्रत्येक तिथि पर मा0 न्यायालय द्वारा तलब अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि समय-समय पर मुख्यालय स्तर से अभियोजन साक्षियों को मा0 विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर प्रत्येक दशा में उपस्थित कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं, जिनका उल्लेख पार्श्वांकित परिपत्रों में वर्णित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया/कराया जा रहा है। विचाराधीन बन्दियों के प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के उपस्थित न होने के कारण विचारण लम्बित रहने के प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

डीजी-परिपत्र सं0 - 07/2020 दि0 04.02.2020
डीजी-परिपत्र सं0 - 23/2019 दि0 19.06.2019
डीजी-परिपत्र सं0 - 16/2018 दि0 21.04.2018
डीजी-परिपत्र सं0 - 70/2015 दि0 20.10.2015
डीजी-परिपत्र सं0 - 65/2015 दि0 06.08.2015
डीजी-परिपत्र सं0 - 23/2015 दि0 10.04.2015
डीजी-परिपत्र सं0 - 26/2014 दि0 26.04.2014

मा0 न्यायालय के समक्ष नियत वादों में प्रत्येक तिथि पर अभियोजन साक्षियों की प्रत्येक दशा में उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में आप सभी को पुनः निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है -

- समस्त विचाराधीन प्रकरण, जिसमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, मा0 विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये गये समस्त साक्षियों को नियत तिथि पर साक्ष्य हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना सुनिश्चित किया जाये।
- विचाराधीन अभियोगों में साक्षी पुलिसकर्मी नियत तिथि पर उपस्थित होकर बयान अंकित कराते हुए न्यायिक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ऐसा न करने पर सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- स्थानान्तरित पुलिस कर्मियों का पूर्ण विवरण प्रभारी सम्मन सेल द्वारा अभिलिखित किया जाये,जिसमें सम्बन्धित पुलिस साक्षीगण का टेलीफोन नम्बर एवं अन्य सुसंगत विवरण अंकित कर उन्हें समय से साक्ष्य हेतु उपस्थित होने हेतु त्वरित संचार के माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- सम्मन/वारण्ट का ससमय तामीला प्रक्रिया का पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो जनपद के संयुक्त निदेशक अभियोजन /डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) से समन्वय स्थापित कर, न्यायालयी प्रोसेस का समय से अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- भविष्य में यदि इस प्रक्रिया के अनुपालन में कोई लापरवाही पायी जाती है तो जनपदीय सम्मन सेल के सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी तथा पर्यवेक्षणीय वरिष्ठ अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि विवेचक का स्पष्ट नाम, पद, पी0एन0ओ0 तथा मोबाइल नम्बर केसडायरी में नियत स्थानों पर अवश्य अंकित किया जाये।

अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अपने-अपने जनपदों में कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें एवं अनुपालन में त्रुटि न हो।

भवदीय

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र0।